



F-07-08
F-07-11

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1290 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1290

विषय/ Sub: स्टैंडबाई मैग्नेटिक कम्पास, पार्ट सं. जेसी2बी (जी) मार्क - I

Standby Magnetic Compass, Part Number: JC2B (G) Mark - I

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इंडिया नेविगेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 412, फेस-III, उद्योग विहार, गुडगाँव - 122 016, हरियाणा द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "स्टैंडबाई मैग्नेटिक कम्पास" पार्ट सं. जेसी2बी (जी) मार्क - I, को सन्दर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए - 1290, दिनांक 31 अक्टूबर 2007, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1290 जारी किया गया था। तदुपरांत सन्दर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1290/1आर, दिनांक 24 जनवरी 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to state that the "Standby Magnetic Compass", bearing Part number: JC2B (G) Mark-I, designed, developed and manufactured by M/s India Navigation Co. Pvt. Ltd., 412, Phase - III, Udyog Vihar, Gurgaon - 122 016, Haryana, was issued with Type Approval Number: 1290 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1290, dated: 31st October 2007. Subsequently it was renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1290-1R, dated: 24th January 2013 with validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मार्च 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 28 फरवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर), डीआरडीओ, सेमिलैक, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूर - 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st March 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 28th February 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), DRDO, CEMILAC, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Helicopter Division, Bengaluru - 560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए -1290, दिनांक 31 अक्टूबर 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1290, dated: 31st October 2007 is amended as stated herewith.

4. "[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक) बेंगलूर - 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]"

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-1290/2R

दिनांक /Date: 28 March 2018

फैक्ससं./Fax No: 080 - 2523 0856



पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)